संख्या : 212/XVII-1/2009-19(01)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून, 24 फरवरी 2009

विषय :अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 'अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु **'अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना'** के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रूपये 5,00,00,000/– (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

2. योजना की रूपरेखा इस आदेश के साथ संलग्न है।

3. उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान चयनित लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में किया जाएगा।

4. धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों को उनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में तत्काल कर कर दिया जाए ताकि धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो सके।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक '8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि' के विनियोजन तथा अन्ततः 'अनुदान संख्या–30' के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–00–अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना' की मानक मद '42–अन्य व्यय' के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर

संख्या : 09/XXVII(1)/रा.आ.नि./2009, दिनांक 24 फरवरी 2009.
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

/

(एल.एम. पन्त)
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

पृष्ठांकन संख्या : 212(1)/XVII-1/2009-01(01)/2004, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03/01, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ 03 पर..

शासनादेश संख्या : 212/XVII-1/2009-19(01)2009, दिनांक 24 फरवरी 2009 का संलग्नक :

"अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना"

1. **परिचय / पृष्ठभूमि :**

(1) आवास न्यूनतम आवश्यकता के साथ-साथ मूलभूत आवश्यकता भी है किन्तु अनुसूचित जाति वर्ग आवास सुविधा से अभी भी वंचित पाये जाते हैं।

(2) इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए पृथक से आवास की योजना का गठन एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

2. **उद्देश्य :**

(1) योजना का मूल उद्देश्य आवासहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

(2) योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करना है, जो ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं।

3. **योजना की रूप-रेखा :**

(1) यह योजना पूर्णतया अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित की जायेगी।

(2) योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(3) आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रुपये 38,500/- एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु रुपये 35,000/-निर्धारित की जाती है।

(4) आवास के साथ शौचालय का निर्माण आवश्यक होगा।

(5) आवास का कुल क्षेत्रफल न्यूनतम 20 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है।

(6) योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जायेगी।

4. **पात्रता :**

(1) इस योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जाति के परिवार पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 32,000/- अथवा इससे कम होगी (इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा) अथवा अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे।

(2) बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र धारक को पृथक से आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) इन्दिरा आवास योजना अथवा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त लाभार्थियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(4) आवास निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

(5) भूमि क्रय हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः पृष्ठ-04 पर

5. **योजना का क्रियान्वयन :**

(1) यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) योजना अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित होगी।

(3) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. **लाभार्थी चयन एवं स्वीकृति प्रकिया :**

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जायेगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में निवासरत् अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे।

(3) विकास खण्डवार लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों को तिथिवार क्रम से अभिलेखों में इंद्राज किया जायेगा।

(4) प्रारम्भिक चरण में आवेदन पत्रों का परीक्षण विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा ताकि ग्राम विकास की आवास योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

(5) विकास खण्ड स्तर से समस्त आवेदन पत्र क्रमवार सूची के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किए जायेंगे।

(6) जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों की पात्रता जांच करने के उपरांत प्रथम आवत प्रथम पाक्त के सिद्धांत से चयन की सूची तैयार करेंगे।

(7) सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला विकास अधिकारी इस चयन समिति के सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी संयोजक होंगे।

(8) आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है।

7. **धनराशि आवंटन :**

(1) आवास हेतु चयनित लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि दो किस्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम किश्त में रुपये 15,000/- की धनराशि दी जायेगी। आवास निर्माण पूर्ण करने की पुष्टि होने के उपरान्त ही दूसरी किश्त का भुगतान किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ-05 पर

"अनुसूचित जातियों के लिए अटल आवास योजना"
आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता / पति का नाम .....

3. पूरा पता .....

   ग्राम ..... डाकघर .....

   विकास खण्ड ..... जनपद .....

4. बी.पी.एल. प्रमाणपत्र का क्रमांक .....

5. यदि बी.पी.एल. प्रमाणपत्र नही है, तो वार्षिक आय .....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. वर्तमान आवास की स्थिति .....

7. क्या आवास हेतु भूमि उपलब्ध है .....

   क्या पूर्व में आवासीय योजना हेतु शासकीय सहायता प्राप्त हुई है? हाँ / नही .....

   .....

   यदि हाँ, तो विवरण दे .....

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।

घोषणा :

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तर 1 से 8 तक दी गयी सभी सूचनाऐं सत्य है। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार दण्ड का भागी रहूँगा और दी गयी शासकीय धनराशि की वसूली राजस्व वसूली की भांति की जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परीक्षणोपरांत खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति-

.....

.....

हस्ताक्षर
खण्ड विकास अधिकारी
व मुहर